

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
:: कार्यालय आदेश ::

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के व्यवसाय अनुदेशक (फाउण्ड्रीमैन) के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनके स्थायी अथवा अस्थायी पदों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्तों के अधीन मूल कोटि के व्यवसाय अनुदेशक के वेतनमान वेतन स्तर-6 (₹ 35,400-83,600) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ योगदान करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र ०	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री जितेन्द्र कुमार पंडित	1/B23021157	अनारक्षित	सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर	
2	श्री नीरज कुमार	4/B23003853	पिछड़ा वर्ग	पटना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर	
3	श्री सुबोध कुमार	5/B23009380	अनुसूचित जाति	पटना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों, शपथ-पत्र, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल होने की प्रत्याशा में, अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचना आदि के आधार पर किया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र सहित इन प्रमाण पत्रों की जांच पदस्थापित कार्यालय के कार्यालय प्रधान द्वारा करायी जायेगी। यदि कोई प्रमाण पत्र या संबंधित कागजात किसी दृष्टिकोण से सम्पुष्टि के क्रम में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गई राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जायेगा।

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण एवं संवर्ग नियमावली के प्रावधानों के आलोक में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

4. सभी अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करते समय कॉलम-7 में वांछित दस्तावेज, जो भी लागू हो के अतिरिक्त निश्चित रूप से सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र एवं सिविल सर्जन द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक-01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे योगदान करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।

6. जो अभ्यर्थी पूर्व से कहीं कार्यरत हैं, उनके वर्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

7. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित स्थान में योगदान लेंगे। योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। योगदान करने की सूचना नियुक्ति पत्र की प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

8. प्रस्ताव में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुयश वरदान)

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 03.01.2025

संख्या-टी-01/स्था (6) अनु0-125/2024-35 /

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 03.01.2025

संख्या- टी-01/स्था (6) अनु0-125/2024-35 /

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 03.01.2025

टी-01/स्था (6) अनु0-125/2024-35 /

प्रतिलिपि:- सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।